महाधिवक्ता की बर्खास्तगी

बड़े बे आबरू होकर...

○डॉ. एस.के. शर्मा, एडवोकेट

जिस देश में उच्च संवैधानिक पदों पर प्रसाद पर्यन्त नियुक्तियां होती हों और श्रापपर्यन्त बरखास्तगी उस देश के लोकतंत्र के बारे में अन्दाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी महाधिवक्ता को बर्खास्त किया गया। ज्ञात हो कि वर्तमान सरकार के पदारूढ़ होने पर सूर्य प्रकाश गुप्ता महा अधिवक्ता नियुक्ति हुए थे उनको हटाने के लिए उनसे खराब स्वास्थ्य के नाम पर त्याग पत्र लिखा गया था उनके हटने के बाद 7 नवम्बर 2013 को एडवोकेट विनय चन्द्र मिश्र को महाधिवक्ता का दायित्व सौंपा गया।

नेता जी के अत्यन्त करीबी माने जाने वाले बार कौंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसियेशन के पूर्व अध्यक्ष और चार बार महासचिव तथा वर्तमान में उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के अध्यक्ष विनय चन्द्र मिश्र को जिस प्रकार त्याग पत्र देने का मौका दिए बगैर

इस प्रदेश में ऐसे-ऐसे महाधिवक्ता भी हुए हैं जिनसे बदलती सरकारें निवेदन करती थीं कि आप महाधिवक्ता बने रहे आपकी प्रदेश सरकार को आवश्यकता है आज की तरह नहीं कि महाधिवक्ता बनने के लिए लावीइंग करते हैं, सत्ताधारी पार्टी दफ्तर के लान में लइया-चना चबाते हुए समर्थकों की परेड कराते हैं।

जब अधिवक्ता जैसा प्रबुद्ध वर्ग दो कौड़ी के नेताओं के आगे पालतू की तरह दुम हिलाता है तो उसका हश्र यही होता है।

दर्दे बयां

इस बर्खास्तगी पर वी.सी. मिश्र ने कहा कि उनके विरुद्ध शासन में बैठे एक अधिकारी तथा उच्च न्यायालय में नियुक्त एक विधि अधिकारी ने गहरी साजिश की है।

उन्होंने मुख्यमंत्री के एक भी आदेश की आज तक अवहेलना नहीं की। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को यदि कुछ गलत लगा था तो मुझे इशारा कर देते, इस्तीफा दे देता। हटाने की नौबत न आती। सपा मुखिया हमारे नेता हैं और हमेशा रहेंगे। पर, हटाए जाने के तरीके से बहुत तकलीफ पहुंची है।

- एक भी गलत नियुक्ति नहीं की। २००४ से कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई थी। बड़ी संख्या में पद खाली थे जिससे अदालतों में काउंटर दाखिल करना तक मुश्किल हो रहा था। ऐसे में कर्मचारियों को पदोन्नति दी और नियमों का पालन कर रिक्त पदों पर एडह,क नियुक्तियां कीं। यदि एक भी नियुक्ति गलत साबित होगी, वकालत छोड़ दूंगा। कुछ अधिकारी इन नियुक्तियों के नाम पर पैसा खाना चाहते थे जिन्होंने गलत नियुक्ति का हल्ला मचाया।
- लोकसभा चुनाव में ४२ जिले व छह तहसीलों की बार काउंसिल में अधिवक्ताओं के साथ बैठक की। इसके लिए चुनाव आयोग ने दो-दो नोटिस जारी किए। लेकिन इसकी परवाह किए बिना चुनाव भर दौड़ता रहा।
- इलाहाबाद के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल को हटाना चाहता था। वह कांग्रेसी हैं और पूर्व महाधिवक्ता के साथी। अहम मुकदमे की भी जानकारी नहीं देते थे। इतना वक्त बीत गया लेकिन इलाहाबाद में अपनी टीम नहीं बना सका। इसके बावजूद जब से इस जिम्मेदारी पर आया था सरकार को कोई मुकदमा नहीं हारना पड़ा।
- २८ जुलाई को मुलायमसिंह यादव ने बुलाया था। पांच बजे का समय तय था। जब पहुंचा मंत्रियों की मीटिंग खत्म हो चुकी थी। वहीं नेताजी ने एक सवाल किया कि ६-६ पन्ने की चिट्ठी क्यों लिखते हो? मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी।

बताया तो कहा कि तुम्हारे पैड पर आई है।...लगता है कि किसी ने मेरे पैड पर नेताजी व सीएम के खिलाफ गलत बातें लिख दी। नेताजी ने भी मुझसे कुछ पूछा तक नहीं और निकाल दिया। इसी से लगता है मुझे हटाने की साजिश रची गई।

कैबिनेट मीटिंग का इन्तजार किये बिना कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से हटाने का निर्णय लिया गया वह पूरे प्रदेश में विशेषकर अधिवक्ता समुदाय में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस दिन यह निर्णय उनके विरुद्ध हो रहा था वे लखनऊ खण्ड पीठ में अपने कार्यालय में बैठे कार्य कर रहे थे लेकिन उनको इसकी भनक तक नहीं लगने दी गयी।

वी.सी. मिश्र की महाधिवक्ता पद पर नियुक्ति से लेकर बर्खास्तगी तक लगभग 9 महीना पूरा कार्यालय किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय रहा कभी अपने बेटे सगे सम्बंधियों को डबल एजी व सरकारी वकील बनाने को लेकर तो कभी अधिवक्ता कल्याण कोष के मामले को लेकर और जाते जाते अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर। सरकार को मात्र बर्खास्तगी से ही चैन नहीं मिला बल्कि उसके बाद महाअधिवक्ता कार्यालय भी सील करा दिया गया उसके पीछे कारण यह बताया गया कि अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की कार्रवाई बाद में बैकडेट में की गयी है, जिसकी जांच एडिशनल एडवोकेट जनरल सी.बी. यादव को करने के लिए कहा गया है।

एक अहम प्रश्न यह है कि इन चन्द दिनों में ऐसा क्या हो गया जो नौबत बर्खास्तगी तक पहंच गयी क्यों कि मिश्र की नियुक्ति पर जब उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को धमकी देने के एक पुराने केस में प्रैक्टिस पर रोक को लेकर राज भवन ने प्रश्न उठाया तब इसी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का हवाला देकर नियुक्ति को जायज ठहराया था तथा जब इनकी नियुक्ति के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल हुई तो उसमें भी सरकार इनके पक्ष में मजबूती से पैरवी में लगी रही। इतना ही नहीं लोकसभा चुनाव के दौरान महाधिवक्ता को वकीलों को सत्ताधारी दल के पक्ष में करने के लिए चुनाव प्रचार के लिए अन्यांधुंध हेलीकाप्टर के प्रयोग की छूट दी गयी इसको पार्टी विशेष के पक्ष में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग मानते हुए चुनाव आयोग ने महाधिवक्ता को नोटिस भी जारी की।

बहरहाल इस बर्खास्तगी ने उच्च संवैधानिक पर नियुक्ति व बर्खास्तगी की प्रक्रिया पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिये है। अब एजी की जी तोड़ मेहनत के बाद भी पार्टी बुरी तरह चुनाव हार गयी तो उसमें उनका क्या दोष है। क्या कोई महाधिवक्ता सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किसी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए कर सकता है।

वी.सी. मिश्र के दर्दे बयां से कई बातें और निकल कर आ रही है कि महाधिवक्ता को किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष के पास हाजिरी लगाने की जरूरत क्यों पड़ी?

क्या सत्ताधारी दल का अध्यक्ष या मुख्यमंत्री का पिता किसी महाधिवक्ता को बुला सकता है? जहां तक मेरी समझ है यह अधिकार तो सिर्फ मुख्यमंत्री का है न कि उसकी पार्टी के अध्यक्ष या उसके पिता का।

अपराधी को छोड़ने से पहले पीड़ितों को भी सुना जाए

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जघन्य अपराधियों को छोड़े जाने में पीड़ितों के अधिकारों का मसला उठाया। सॉलिसिटर जनरल ने संविधान पीठ से आग्रह किया कि पीड़ितों के अधिकारों पर भी विचार होना चाहिए।

जिन मामलों में फांसी उम्रकैद में तब्दील हो गई हो उसमें माफी देकर अपराधी को छोड़ने से पहले पीड़ित का पक्ष सुना जाना चाहिए। सॉलिसीटर जनरल ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के मसले पर बहस के दौरान ये बात कही। इस बीच, देश भर में उम्रकैदियों की रिहाई पर कोर्ट का रोक आदेश जारी है।

मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली संविधानपीठ ने दुर्दात अपराधों में उम्रकैद काट रहे अपराधियों को माफी देकर छोड़े जाने के कानूनी मसले पर सुनवाई शुरू की है। संविधानपीठ के सामने कुल ७ प्रश्न हैं जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के माफी देने के कानूनी प्रावधानों पर मंथन होगा।

केंद्र सरकार ने याचिका दाखिल कर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई का विरोध किया है। दरअसल, फरवरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दया याचिका के निपटारे में अनुचित देरी के आधार पर राजीव के तीन हत्यारों की फांसी उम्रकैद में तब्दील करने के अगले ही दिन तमिलनाडु सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के सातों हत्यारों की रिहाई की घोषणा कर दी।

तमिलनाडु सरकार ने केंद्र को पत्र भेजकर रिहाई पर जवाब मांगा और कहा कि अगर तीन दिन में जवाब नहीं दिया गया तो राज्य सरकार हत्यारों को छोड़ देगी। केंद्र ने राज्य सरकार के उस पत्र और घोषणा को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है। जब मामले में सुनवाई शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने विचार के लिए भेजे गए सातों प्रश्न कोर्ट के सामने दोहराए। कुमार ने अनुरोध किया कि संविधानपीठ पीड़ितों के अधिकार के मसले को भी सवालों की सूची में शामिल कर ले।

संविधानपीठ के सामने सवाल

१- क्या ताउम्र कैद की सजा भोग रहा उम्रकैदी रिहाई की मांग कर सकता है या फिर विशेष अपराधों में जिनमें फांसी की सजा ताउम्र कैद में तब्दील की गई हो ऐसे दोषी की सजा माफ कर रिहा करने पर रोक लगाई जा सकती है।

२- जिस मामले में राष्ट्रपति या राज्यपाल संविधान में मिली माफी देनी की शक्ति का इस्तेमाल कर चुके हों क्या उस मामले में सरकार सीआरपीसी की धारा ४३२ या ४३३ की शक्ति का इस्तेमाल कर दोषी को माफी दे सकती है

३- जहां पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को कानून में माफी देने का हक हो वहां क्या सीआरपीसी की धारा ४३२ (७) केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी गई है और राज्य को बाहर कर दिया गया है।

४- क्या संविधान में माफी देने की शक्ति में केंद्र सरकार को राज्य सरकार से ज्यादा प्राथमिकता है

५- क्या सीआरपीसी की धारा ४३२ (७) में माफी देने में दो सरकारों (केंद्र और राज्य) उचित सरकार माना जाएगा

६- क्या सरकार स्वयं से माफी देने के अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है या उसके लिए कानून में तय प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है

७- सीआरपीसी की धारा ४३५ में केंद्र सरकार से परामर्श करने की बात का मतलब सहमति से है

बजट में न्यायपालिका की उपेक्षा

सरकार सशक्त न्याय पालिका नहीं चाहती

○दीपक तिवारी, एडवोकेट

सरकारों के भ्रष्टाचार अनाचार अवैधानिक कार्यों को रोकने के लिए न्यायिक सक्रियता दिखाने वाली न्यायपालिका सदैव विधायिका व कार्यपालिका की आंख की किरकिरी रही है। विधायिका व कार्यपालिका जहां मौसेरी बहनों की तरह है वही न्यायपालिका को सौतेली बहन का व्यवहार झेलना पड़ता है।

कोई भी सरकार सक्रिय न्याय पालिका नहीं चाहती, इंदिरा गांधी सरकार से लेकर अबतक जितने भी सरकारें इस देश में बनी सबने किसी न किसी तरीके से न्यायपालिका को भयाक्रांत करके अपने वश में करने की कोशिश की है जिसमें कुछ हद तक उनको सफलता भी मिली लेकिन इसके बावजूद न्यायपालिका अपना स्वतंत्र अस्तित्व बचाने में कामयाब रही है। सरकारों को आम आदमी को शीघ्र, सस्ता व सुलभ न्याय की चिन्ता कभी नहीं रही क्यों कि इस घड़ियाली आंसू बहाने के अलावा आज तक किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। शीघ्र सस्ता, सुलभ न्याय दिलाने के लिए सरकारों की उदासीनता का आलम यह है कि लोकतंत्र का सबसे प्रमुख स्तम्भ होने के बावजूद बजट में कभी उसके लिए 1 प्रतिशत की भी व्यवस्था नहीं की गयी। वर्तमान सरकार ने तो हद ही कर दी इसने न्यायपालिका के लिए बजट में मात्र 0.4 प्रतिशत का बजटीय प्रावधान किया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभाव में जजेज की नियुक्ति नहीं हो पा रही है वादकारियों के लिए कचहरी में पानी तक की व्यवस्था नहीं। इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है?

कोई भी सरकार सशक्त न्यायपालिका नहीं चाहती, इंदिरा गांधी सरकार से लेकर अबतक जितने भी सरकारें इस देश में बनी सबने किसी न किसी तरीके से न्यायपालिका को भयाक्रांत करके अपने वश में करने की कोशिश की है जिसमें कुछ हद तक उनको सफलता भी मिली लेकिन इसके बावजूद न्यायपालिका अपने स्वतंत्र अस्तित्व बचाने में कामयाब रही है।

कोई भी सरकार न्यायपालिका को मजबूती नहीं प्रदान करना चाहती यही कारण है कि इसके आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का कभी भी प्रयास नहीं किया जाता।

केन्द्रीय बजट में करोड़ों वाले भारी भरकम बजट में न्यायपालिका के लिए मात्र कुछ करोड़ का प्रावधान किया गया है वह भी इस अहसान के साथ विधि मंत्रालय का बजट बढ़ा दिया गया है।

बजट में हिस्सेदारी मात्र 0.0795 प्रतिशत है। ज्ञात हो कि पिछले दिनों एक केस की सुनवाई के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय की पीठ ने न्यायपालिका में रचनात्मक सुधार और उसके लिए आवंटित अल्प बजट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि कोई भी सरकार मजबूत न्यायपालिका नहीं चाहती।

प्रदेश सरकार ने भी 2011—12 के बजट में रू. 204 करोड़ का प्रावधान न्याय प्रशासन के लिए किया था जिसमें—

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा खण्डपीठ लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु 18 करोड़ रू. की व्यवस्था, जनपदों में न्याय विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 106 करोड़ रू. की व्यवस्था, लम्बित वादों के निस्तारण हेतु सायंकालीन कोर्ट चलाये जाने की योजना के लिए 68 करोड़ रू. की व्यवस्था, कतिपय न्यायालय भवनों को विरासत भवन घोषित कराकर उनके नवीकरण व विशेष मरम्मत हेतु 12 करोड़ रू. की व्यवस्था की है।

यह धनराशि ऊँट के मुँह में जीरा से ज्यादा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय बजट में साल दर साल न्यायपालिका के लिए बहुत कम होते जा रहे पैसे के प्रावधान का उपहास उड़ाया। इस वजह से जजों और न्यायपालिका के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे की कमी दूर नहीं हो पा रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) आर.एम. लोढा ने इस पर टिप्पणी की। उन्होंने सर्वोच्च न्यायपालिका पर काम का बहुत अधिक बोझ होने की बात भी कही। सी.जे. आइ. लोढा न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, जे चेमलेश्वर, ए.के. सिकरी और रोहिंगटन फली नरीमन की सदस्यता वाली संविधान पीठ में एक साथ कई याचिकाओं की सुनवाई कर रहे थे। इन याचिकाओं में कहा गया था कि मौत की सजा के मामले में अपील की सुनवाई पांच सदस्यीय पीठ करे।

याचिका दायर करने वालों ने यह भी मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट की मौत की सजा कायम रखने के फैसले की पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई भी पांच

न्यायाधीशों की पीठ खुली अदालत में करे। सी.जे.आइ. ने कहा कि 16 अगस्त से मौत की सजा के मामलों में अपील की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के तीन न्यायाधीशों की पीठ करेगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका के लिए बजटीय प्रावधान एक फीसद भी नहीं है। यह .4 फीसद है। एक अरब 27 करोड़ से अधिक की आबादी पर देश में मुख्य न्यायाधीश से लेकर निचली अदालतों तक 19 हजार जज और न्यायिक अधिकारी हैं। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि दुनिया के सबसे छोटे देश में जज और आबादी का अनुपात इतना कम नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर काम का बोझ बहुत अधिक है और उस तक मामलों के आने पर कोई नियंत्रण नहीं है। कोर्ट ने वकील समुदाय से उपाय सुझाने को कहा जिससे मुकदमों का निपटारा तेजी से हो सके। सीजेआइ ने पूरे साल अदालतों को काम करने के हाल में दिए अपने प्रस्ताव पर वकीलों के संगठन ने जिस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की उस पर भी नाखुशी जताई।

हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप

दोषी हूँ तो फांसी पर लटका दें: आरोपी जज

काटजू बम धमाके की आवाज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि ग्वालियर की एक अधीनस्थ महिला जज ने उच्च न्यायालय के वहां के प्रशासनिक जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर नया धमाका कर दिया।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज के खिलाफ ग्वालियर की अधीनस्थ न्यायालय की एक महिला जज का कथित यौन उत्पीड़न करने के आरोप को लेकर शीर्ष न्यायपालिका में नया तूफान खड़ा हो गया है। आरोपी जज ने कहा कि दोषी पाए जाने पर वह फांसी पर भी लटकने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि इस मामले से उचित तरीके से निपटा जाएगा। महिला जज ने पद छोड़ने के बाद मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इस्तीफा देने के लिए मजबूर होने के कारणों के बारे में बताया है। मुख्य न्यायाधीश लोढ़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उन्हें सूचित किया है कि उसे इस मसले पर ई—मेल मिले हैं। यह एक बेहद गंभीर मसला है। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुना जाएगा। वहीं, आरोपी जज ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर आरोपों को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वह सीबीआई या अन्य किसी भी एजेंसी की जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनके इस पत्र को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया गया है। इस बीच, पूर्व सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जय के नेतृत्व में सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह ने प्रेस कांफ्रेंस कर आरोपी जज के खिलाफ महाभियोग चलाने और शिकायत की पूरी जांच कराने की मांग की है। उधर, आरोपी जज के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराने की मांग वाली एक जनहित याचिका भी शीर्ष अदालत में दाखिल की गई है। याचिका अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है। याचिका में इस मामले की जांच के दौरान हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के आरोपी न्यायाधीश के निलंबन का भी अनुरोध किया गया है। आरोपों की जांच के लिए शीर्ष अदालत से अपने ही न्यायाधीशों की सदस्यता वाला जांच आयोग गठित करने और विशाखा दिशानिर्देशों के दायरे में कानूनी प्रावधानों के अनुरूप आगे कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

ऐसा ही एक प्रकरण उत्तर प्रदेश में भी कुछ वर्ष पहले हो चुका है। उसमें जज साहब का दिल अधीनस्थ महिला जज पर आ गया था जब उन्हे साम, दाम से सफलता नहीं मिली तो दण्ड का रास्ता अपनाया। इसके बाद भी जब बात नहीं बनी और महिला जज ने दण्ड के विरुद्ध याचना की तो उसकी याचना इसलिए खारिज कर दी गयी कि उक्त जज साहब सबसे बड़ी अदालत में विराजमान हो चुके थे और यहां वालों को वहां बुलाने का लालीपाप दिखा रहे थे और बाद में बड़ी अदालत के जज साहब के प्रभाव स्वरूप उक्त महिला जज को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। महिला जज बर्खास्त हो गयी लेकिन जज साहब के चंगुल में नहीं फंसी और अभी हाल ही में जज साहब भी रिटायर हो गये।

प्रकरण: आप अपने काम से ज्यादा अच्छी हैं

ग्वालियर अधिनस्थ न्यायालय की महिला जज ने सीजेआई को भेजे नौ पन्नों के पत्र में लिखा है कि हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज उनमें सामान्य से ज्यादा रुचि दिखाने के साथ ही तरह-तरह की टिप्पणियां करने लगे। फरवरी में एक शादी समारोह में हाईकोर्ट के जज ने महिला जज से उनकी १६ साल की बेटी के सामने कहा, 'आपका काम अच्छा है, लेकिन आप अपने काम से कहीं ज्यादा अच्छी हैं।' इसके बाद प्रशासनिक जज ने अपनी शादी की सालगिरह पर एक आइटम सांग पर डांस करने की मांग वाला संदेश उन्हें भिजवाया। महिला जज ने अपने पति से हाईकोर्ट के जज के व्यवहार को लेकर चर्चा की और जब न्यायाधीश ने २१ जून को देर शाम में अपने बंगले पर मिलने के लिए आने को कहा तो अगले दिन सुबह वह वहां अपने पति के साथ गईं। उन्हें अपने पति के साथ देखकर हाईकोर्ट के न्यायाधीश बेहद गुस्सा हो गए और उनसे कहा कि वह १५ दिन बाद उनसे मिलें। बाद में उनका दूरदराज के एक इलाके में सीधी स्थानांतरण कर दिया गया। इसके बाद मजबूर होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया।